<table>
<tr><th>तारीख हुक्म</th><th>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

ओमाराम बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर शहर, प्रथम जोधपुर)

सू.अ.अ. अपील संख्या 328/2022</th><th>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</th></tr>
<tr><td>01-11-2022</td><td>अपीलार्थी ओमाराम चौधरी पुत्र शेषाराम चौधरी निवासी गोदारों की ढाणी, पालासनी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 08. 04.2022 में (1) जोधपुर जिले की पीपाड़शहर तहसील, बेनण ग्राम 50/1, 173 तथा इनकी ढालबांछ की प्रमाणित प्रतिलिपि देने , से संबंधित सूचना के लिए ,लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर, प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1769 दिनांक 1010.2022 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्र संख्या 1751 दिनांक 04.10.22 द्वारा कुल 03 पृष्ठों की सूचना प्रेषित की जा चुकी है।

चूंकि लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी/प्रार्थी को सूचना प्रेषित की जा चुकी है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</td><td></td></tr>
</table>